ISSN 2278-8808 SJIF 2015: 5.403
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

झुंझुनू जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रभाव का अध्ययन

जितेन्द्र कुमार महण

शोध अध्येता, टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर एवं व्याख्याता, श्री गुरु नानक खालसा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हनुमानगढ़ (राज.)

Abstract

शिक्षा का कार्य बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभवों में वृद्धि तथा उनमें स्पष्टता तथा सत्यता प्रदान करना है। विद्यालय का एक उद्देश्य बालकों का समाजीकरण करना है। इस हेतु विद्यालयों के बालकों में प्रेम, सहयोग, बन्धुत्व एवं सामाजिकता की भावनाओं का विकास करना परमावश्यक है। जिस विद्यालय वातावरण में इन गुणों के विकास की उपयुक्त व्यवस्था है, वहां विद्यालय के छात्रों का शैक्षिक स्तर भी उच्च होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-१९८६ के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य हमारे समाज में स्वावलम्बी, अधिक उत्पादन करने वाले अधिक क्षमतावान व अधिक विचारवान नागरिक उत्पन्न करने का है। उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का सृजन करना व उसे शैक्षिक अनुभव प्रदान करना शिक्षक का कार्य है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की शुरूआत २०००-२००१ में एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए की गयी थी। इसमें भारतीय संविधान के ८६वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है जिसके तहत ६-१४ साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। झुंझुनू जिले में भी यह सर्व शिक्षा अभियान २००१ में प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, प्रारंभिक शिक्षा में छात्र-छात्रा एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके लिए झुंझुनू जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द *: उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रारांभिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, सार्वभौमिकरण*

Scholarly Research Journal's ***is licensed Based on a work at*** *www.srjis.com*

प्रस्तावना

विद्यालय के शैक्षिक वातावरण का विद्यार्थियों पर सब तरह का असर पड़ता है। इस वातावरण में अध्यापक, विद्यार्थी और प्रधानाध्यापक सभी का प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण रूचिकर उत्साह बढ़ाने वाला हो तो विद्यार्थी भी अच्छा कार्य करते है। शिक्षा का कार्य बालक के प्रत्यक्ष अनुभवों में वृद्धि तथा उनमें स्पष्टता तथा सत्यता प्रदान करना है। विद्यालय का एक उद्देश्य बालकों का समाजीकरण करना है। इस हेतु विद्यालयों के बालकों में प्रेम, सहयोग, बन्धुत्व एवं सामाजिकता की भावनाओं का विकास करना परमावश्यक है। इन भावनाओं के विकास के लिए विद्यालय वातावरण का अच्छा होना

आवश्यक है। विद्यालय वातावरण में शिक्षकों, प्रधानाध्यापक व बालकों के मध्य सहयोग एवं मित्रता की भावना तथा सहानुभूति एवं प्रेम, उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, जिसमें विद्यालय वातावरण स्वच्छ व सुन्दर बन सके। जो बालकों में आत्म संयम, आत्म निर्भरता, सद्भावना, निःस्वार्थता और अनुशासन आदि गुणों का विकास कर सके। जिस विद्यालय वातावरण में इन गुणों के विकास की उपयुक्त व्यवस्था है, वहां विद्यालय के छात्रों का शैक्षिक स्तर भी उच्च होगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-१९८६ के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य हमारे समाज में स्वावलम्बी, अधिक उत्पादन करने वाले अधिक क्षमतावान व अधिक विचारवान नागरिक उत्पन्न करने का है। उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का सृजन करना व उसे शैक्षिक अनुभव प्रदान करना शिक्षक का कार्य है। पाठ्यचर्या विशेष केवल उत्तम कोटि की योजना और शिक्षण व विषय सामग्री के विषय में दिशा निर्देश ही दे सकते हैं। शिक्षकों पर बालकों के स्वाभाविक विकास को सुगत व गतिशील बनाने का दायित्व होता है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण विद्यार्थी के संज्ञानात्मक व अनुभवात्मक विकास को प्रभावित करता है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत २०००-२००१ में एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए की गयी थी। इसमें भारतीय संविधान के ८६वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है जिसके तहत ६-१४ साल के बच्चों (२००१ में लगभग २०५ मिलियन) की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है।

झुंझुनू जिले में भी यह कार्यक्रम २०००-२००१ में प्रारम्भ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, प्रारंभिक शिक्षा में बालक-बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस हेतु नए स्कूल खोला जाना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान करना, स्कूलों एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण किया जाना, प्रसाधन-कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्यापकों का प्रावधान करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा में शत-प्रतिशत नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा उपलब्धि स्तर में सुधार करना है। इसके अलावा नियमित अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अकादमिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें एवं पोशाकें तथा अधिगम स्तरों अथवा परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में भौतिक सुविधा उपलब्ध करवाना है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्थाएं जुटाई जानी जरूरी हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी गावों/मंजरों/ढाणियों में शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्य

कारक है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं बढाने हेतु सिविल कार्य करवाये गए हैं, जिनके अन्तर्गत भवन विहीन विद्यालयों के लिए नए भवन, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, शौचालय एवं नल सुविधा आदि मुहैया करवायी जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य २०१० तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) में ८ मुख्य कार्यक्रम हैं, जिसमें आईसीडीएस ;प्ब्क्ैद्धए आंगनवाड़ी, केजीबीवीवाई ;ज्ञळठटल्द्ध और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आदि शामिल हैं।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

शिक्षा चूंकि व्यक्ति की मूल प्रवृतियों का उदात्तीकरण करती हुई उसे एक स्वरूप में सामाजिक व्यक्ति एवं उपयोगी नागरिक के रूप में ढालती है। अतः किसी भी राष्ट्र के जीवन में शिक्षा का स्थान न केवल अनिवार्य बल्कि अपरिहार्य भी है। विशेष रूप में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में तो शिक्षा सामाजिक, राजनीतिक जीवन की मेरूदण्ड है। शिक्षक के द्वारा ही राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। एक पीढ़ी अपनी संज्ञानात्मक, कौशलात्मक एवं भावात्मक धरोहर को दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित करती है। अतः शिक्षा आन्तरिक व बाह्य विकास की उपादेय प्रक्रिया है। विद्यालयों द्वारा बच्चों को आदर्श व्यवहार की शिक्षा देना उनका प्रमुख कार्य समझा जाता है। विद्यालय वातावरण के अन्तर्गत बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास तथा आध्यात्मिक विकास होता है।

सभी बच्चों को शिक्षा की परिधि में लाने की विश्वव्यापी चिंता भारत में नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद अपेक्षतया कहीं अधिक बलवती हुई है। नई दिल्ली में दिसम्बर, १९९३ में सम्पन्न सर्वाधिक आबादी वाले नौ देशों के शिखर सम्मेलन में सन् २००० तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की गरज से व्यापक व्यूह रचना की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। सभी बच्चों को शिक्षा की परिधि में लाने की विश्वव्यापी चिंता भारत में नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद अपेक्षतया कहीं अधिक बलवती हुई है। गत पांच दशकों के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के खाते में राज्य द्वारा किये गये अनेक प्रयास तथा अपार धन राशि की व्यवस्था के बाद भी स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव नहीं लाया जा सका। प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वजनीन करने एवं सम्पूर्ण साक्षरता की मंजिलें अभी भी कोसों दूर नजर आती हैं। सरकार स्वयं अरबों रूपयें खर्च करने वाली सार्वजनीन शिक्षा के लिए लोक जुम्बिश, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं नहीं चलाती। शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता बढ़ाने में आज तक कोई विशेष असर नहीं हुआ है। सरकार द्वारा नई-२ योजनाएं लाने के बावजूद भी

बालकों का विद्यालय छोड़ना जारी है। सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्यम से छात्रों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, पका हुआ भोजन (पोषाहार) एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। इन्हीं बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए ''झुंझुनू जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रभाव का अध्ययन'' विषय पर शोध कार्य करना निश्चित किया गया है।

उद्देश्य

वर्तमान समस्या पर शोध कार्य करने के लिए निम्नांकित उद्देश्यों को लिया गया है-

१. झुंझुनू जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन व उपस्थिति पर सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का प्रभाव जानना।

२. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अन्तर्गत संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

३. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) द्वारा प्रदत्त विद्यालय विकास कोष की राशि की उपयोगिता को जानना।

४. जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग व उसकी उपादेयता का अध्ययन करना।

५. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए सुझाव देना।

परिकल्पनाएं

इस अध्ययन में निम्नलिखित सामान्य परिकल्पनाओं को लिया गया है-

1. जिले में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के बाद बालक व बालिकाओं का ठहराव पूर्व की अपेक्षा अधिक हुआ है।
2. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अन्तर्गत संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी रहे हैं।
3. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) द्वारा प्रदत्त विद्यालय विकास कोष की राशि का उपयोग सही दिशा में किया गया है।
4. जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग सही दिशा में किया गया है।

अध्ययन परिसीमन

समय, श्रम व आर्थिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए झुंझुनू जिले की प्रत्येक ब्लॉक से यादृच्छिक प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अध्ययन के अन्तर्गत रखा है। बालक-बालिकाओं के उच्च प्राथमिक स्तर तक अध्ययन करने के लिए राजस्थान के झुंझुनू जिले के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया है। यह अनुसंधान कार्य केवल झुंझुनू जिले की ब्लॉकों तक ही सीमित रखा गया।

न्यादर्श

झुंझुनू जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों (बालक व बालिका) में कार्यरत २०० अध्यापकों को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया। जिसमें दत्त संग्रहण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत कार्यरत प्रधानाध्यापक व अध्यापकों को सम्मिलित किया गया।

शोध विधि, प्रविधि एवं उपकरण

इस अध्ययन हेतु अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया। जिसमें अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के २०० प्रधानाध्यापक व अध्यापकों के विचारों को प्रश्नावली की सहायता से इकठ्ठा किया गया। प्रस्तुत शोध कार्य में आंकडों का विश्लेषण करने हेतु विवरणात्मक सांख्यिकी का उपयोग किया गया। अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यालयों के अध्यापको का मत जानने के लिए स्वःनिर्मित प्रश्नावली को उपयोग किया।

मुख्य निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य में आंकडों का विश्लेषण करने पर मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित प्राप्त हुए-

१. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के कारण नामांकन में वृद्धि के सम्बन्ध में ७४.१० प्रतिशत अध्यापकों ने अपनी राय हां में व्यक्त की है।

२. ८३.४० प्रतिशत अध्यापकों ने कहा है कि विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय उपस्थित रहते हैं।

३. ५२.५७ प्रतिशत अध्यापकों ने बताया कि विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करवायी गई।

४. ६७.३३ प्रतिशत शिक्षकों ने विद्यालय में शिक्षण पैकेज उपलब्ध नहीं होने के बारे में अपना मत दिया है।

५. ठहराव हेतु विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले प्रयासों के सम्बन्ध में ७०.५० प्रतिशत अध्यापकों ने अपनी राय हाँ में व्यक्त की है।

६. ४६.३७ प्रतिशत शिक्षकों ने विद्यालय में छात्रों के प्रथम स्थान आने पर पुरस्कृत नहीं करने के बारे में अपना मत दिया है।

७. ६२.४१ प्रतिशत अध्यापकों ने कहा है कि अधिकतम उपस्थित रहने वाले छात्रों को विद्यालय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

८. १६.८२ प्रतिशत शिक्षकों ने अभिनव कार्यक्रम लगातार नहीं चलाने के बारे में अपना मत दिया है।

९. ८४.७५ प्रतिशत अध्यापकों ने क्रियात्मक शोध कार्य नहीं करने के बारे में अपना मत दिया है।

१०. ६४.३३ प्रतिशत शिक्षकों ने विद्यालय में पढ़ाते समय शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना बताया है।

११. ६६.७२ प्रतिशत अध्यापकों ने शिक्षण सामग्री को विद्यालय में सुरक्षित नहीं रखना बताया है।

१२. ८८.६४ प्रतिशत शिक्षकों ने शिक्षण सहायक सामग्री के रखने के लिए विद्यालय में अलग से कमरे की व्यवस्था नहीं होना बताया गया।

१३. ६१.३३ प्रतिशत अध्यापकों ने सहायक सामग्री के उपयोग के लिए दी गई राशि को समुचित खर्च करना बताया है।

१४. ६५.४२ प्रतिशत शिक्षकों ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) द्वारा विद्यालय हेतु दी गई राशि का समुचित उपयोग करना बताया गया।

१५. ६३.५० प्रतिशत अध्यापकों ने विद्यालय को दी जाने वाली सहायता राशि को समय पर उपलब्ध होना बताया गया है।

१६. ६०.६३ प्रतिशत शिक्षकों ने विद्यालय में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था बताई है।

१७. ६६.३५ प्रतिशत अध्यापकों ने विद्यालय में छात्र-छात्राओं के बैठने के लिए कमरों की व्यवस्था पर्याप्त बतायी है।

सुझाव

जिले में उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रभाव को बढ़ाने के लिए निम्नांकित प्रयास करने चाहिए-

1. शिक्षण की सभी विधियों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक इन विधियों का उपयोग किस प्रकार करता है। अध्यापक को विशेष विधि तक सीमित न होकर आवश्यकतानुसार शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन करना चाहिए।

2. विद्यालय वातावरण में अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों व बालकों के मध्य सहयोग, प्रेम, मित्रता की भावना, सहानुभूति एवं उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए।
3. विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर बाल-पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए। इन बाल-पुस्तकालयों में मनोरंजक व ज्ञानवर्द्धक पुस्तकें होनी चाहिए।
4. प्रशिक्षण हेतु स्थान-चयन के लिए आयोजकों को स्थानीय व्यक्तियों के साथ मिलकर उनका विश्वास अर्जित करना चाहिए।
5. संदर्भ व्यक्ति को यथोचित समय पर किसी पाठ्य विषय पर चर्चा प्रारंभ करने, मुख्य बातों पर बल देने व आवश्यकतानुसार शिक्षण देने में दक्ष होना चाहिए।
6. उच्च प्राथमिक अध्यापकों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए जिससे गुणवता आधारित शिक्षा दी जा सके और छात्रों का ठहराव बन सके।
7. शिक्षकों को शिक्षण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखना चाहिए।
8. अध्यापकों को गुणात्मक शिक्षा से जोड़े रखने के लिए सतत अभिनवन सम्बन्धी कार्यक्रमों के शिविर लगवाने चाहिए।
9. अधिकतम ठहराव के लिए समय-समय पर प्रतियोगिताएँ आयोजित कर पुरस्कार दिया जाना चाहिए।

संदर्भ -

एम.एच.आर.डी. (१९६४-६६). राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नई दिल्लीः भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय.
एम.एच.आर.डी. (१९८६). नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई दिल्लीः भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय.
एम.एच.आर.डी. (१९९३) शिक्षा बिना बोझ के, नई दिल्लीः भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय.
एन.सी.ई.आर.टी. (२००६). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा २००५, नई दिल्ली, एनसीईआरटी.
यूनेस्को (१९९६) लर्निंग,: द ट्रेजर विदइन (द डेलोर्स रिपोर्ट) लन्दनः यूनेस्को/एचएमएसओ.
कुमार, कृष्ण (२००४), बच्चे की भाषा और अध्यापक, (पुनर्मुद्रित), नई दिल्लीः नेशनल बुक ट्रस्ट.
राजपूत, जे. एस. (१९९०). युनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशनः रोल ऑफ टीचर एजुकेशन, न्यु देहलीः विकास पब्लिशिंग हाउस.
सेन्डहाल्ज जे., रिंगस्टॉफ सी. एन्ड डायर डी. (१९९७). टीचिंग विद टेक्नोलॉजी, न्यू यॉर्कः टीचर्स कॉलेज प्रेस.
सुखिया एम.पी. एवं मल्होत्रा, पी. वी. (१९९४), शैक्षिक अनुसन्धान के मूल तत्व, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर.
भारत का राजपत्र (२००९). द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट, २००९.
भटनागर, सुरेश (१९९५). बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान. मेरठः आर. लाल बुक डिपो.
वाजपेयी, एस. आर. (१९६७). सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण, कानपुरः किताब घर.